

(मूल वाद में डिक्री) (अंतिम)

डिक्री व मुकदमे इबतदाई

(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्दा दीवानी)

(Civil Procedaur Code Appendix 'D' -I)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

अशोक कुमार पुत्र सुलतान विदे असीत तिवारी विपती

बनाम

लक्ष्मीलाल, बुधारा

दावा बाबत :- घोषणात्मक (अन्तर्गत धाय 88 RTA)

मुकदमा नम्बर :- 186/2021

निर्णय दिनांक :- 12-11-2021

वादी की ओर से स्वयं लक्ष्मीलाल बुधारा की व पत्निका की ओर से लक्ष्मीलाल बुधारा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 12-11-21 को सुनील कुमार चौहान (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-

11 वाड वाडी स्वीकार किया जाकर वाडे ग्राम सिवनी लिपिअ शसि

खण्ड नं. 227, 228, 229, 230, 58, 59 की लक्ष्मीलाल लहा

गन्था "पक्षी-अ" के अनुसार डिपें जाने का आदेश दिया जाता है। शकल इकाई के अन्तर्गत हेतु लक्ष्मीलाल बुधारा को लखीर जारी है।



खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 12-11-21 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना
जिला झुंझुनूं राज0